

ब्यूज टुडे

पंजाब सरकार ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी न देने के बारे में राज्य विधान सभा में संकल्प पेश किया

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया है, जिसका पंजाब सरकार ने विरोध किया है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बारे में

➤ इसे पहले भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79 के तहत की गई थी।

➤ कार्य

⊕ भाखड़ा-नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना इकाई-I (ब्यास सतलुज लिंक परियोजना) और ब्यास परियोजना इकाई-II (पोंग बांध) का प्रशासन, संचालन एवं रखरखाव करना।

⊕ यह प्राधिकरण भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ राज्यों को जल एवं विद्युत की आपूर्ति को विनियमित करता है।

जल विनियमन के लिए तंत्र

➤ संवैधानिक फ्रेमवर्क

⊕ राज्य सूची की प्रविष्टि 17: इसके तहत जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरों, जल निकासी आदि से संबंधित मामलों पर राज्यों को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

⊕ संघ सूची की प्रविष्टि 56: यह अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास से संबंधित है।

⊕ अनुच्छेद 262: संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सकती है।

➤ संसद के अधिनियम

⊕ नदी बोर्ड अधिनियम 1956: केंद्र सरकार अधिसूचना के माध्यम से नदी बोर्डों का गठन कर सकती है। इन बोर्डों का कार्य राज्यों को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए सलाह प्रदान करना है।

⊕ अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यह केंद्र सरकार को तब जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, जब मुद्दे को वार्ता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता।

वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्लोडाउन के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक निर्यात किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत का कुल निर्यात (वस्तु + सेवाएं) 2024-25 में 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह 2023-24 के 778.1 बिलियन डॉलर से 6.01% अधिक है।

➤ यह उपलब्धि लाल सागर संकट, यूक्रेन युद्ध, पनामा नहर में सूखा, गैर-टैरिफ उपायों में वृद्धि, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों आदि के कारण व्यापार में व्यवधानों से उत्पन्न वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी हासिल की गई है।

इससे संबंधित मुख्य आंकड़े और रुझान

➤ वस्तु का निर्यात: यह 2023-24 में 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कुछ बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

➤ सेवा का निर्यात: यह 2024-25 में 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2023-24 के 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 13.6% अधिक है।

निर्यात वृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले कारक

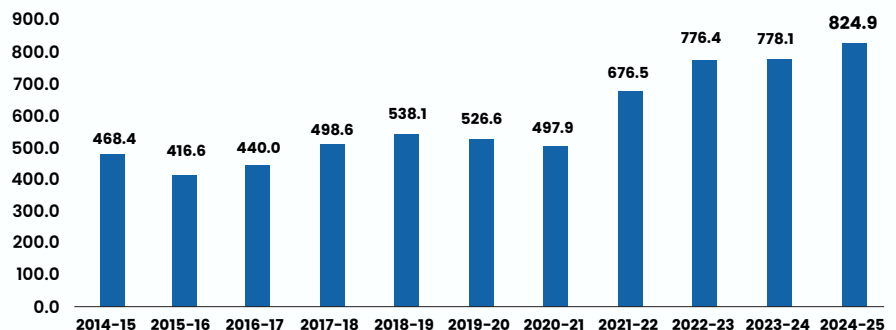
➤ नीतिगत प्रोत्साहन: सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति, क्षेत्रक-विशिष्ट योजनाओं, व्यापार हेतु सुविधा, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव और MSMEs को समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया है।

➤ निर्यात बाजारों का विविधीकरण: दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से बढ़ती मांग ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी भारत के निर्यात को बढ़ाया है।

➤ व्यापार समझौते: विशेष रूप से सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए गए हैं तथा बाजार को खोला एवं बाधाओं को कम किया गया है। जैसे भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)।

➤ आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्निर्धारण: चीन-प्लस-वन रणनीति में भारत एक विश्वसनीय विकल्प बन गया है, जो वैश्विक प्रभुत्व वाली कंपनियों को आकर्षित कर रहा है।

India's Total Exports Value (in US\$ Billion)



भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी पिछले चार वर्षों में दोगुनी हो गई

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी पीछे नहीं रहा है। RBI द्वारा खरीदारी की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 11.70% यानी 879.59 मीट्रिक टन हो गई है।

भारत के सकल विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves) में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ⊕ RBI के पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां,
- ⊕ RBI के पास सुरक्षित सोना,
- ⊕ विशेष आहरण अधिकार (SDRs) और
- ⊕ अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रिजर्व पोজীशन।

◆ कुछ देश IMF में रिजर्व पोजীशन को विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि यह तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकती।

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना क्यों जमा कर रहे हैं?

- अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए: देशों के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर परिसंपत्ति के अनुपात को कम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में डॉलर के संभावित अवमूल्यन से जुड़े खतरों से बचा जा सके।
- मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा: वैश्विक मुद्रास्फीति दरों में वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के संकट से निपटने के लिए आरक्षित सोने को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहती हैं।
- बढ़ते भूराजनीतिक खतरे: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के बीच तनाव एवं अनिश्चितता के चलते, सोना फिएट मुद्राओं या सरकारी बॉण्ड की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है।
- ⊕ फिएट मुद्रा वह सरकारी मुद्रा होती है, जिसका मूल्य सोने या चाँदी जैसी किसी भौतिक संपत्ति के मूल्य से नहीं जुड़ा होता है। फिएट मुद्रा का मूल्य काफी हद तक मुद्रा जारी करने वाली संस्था (देश की सरकार या केंद्रीय बैंक) में जनता के विश्वास पर आधारित होता है।

आरक्षित मुद्रा के रूप में सोना रखने से जुड़े खतरे

- जब चाहे और जितने मूल्य पर चाहे बेचना आसान नहीं: जरूरत के समय बड़ी मात्रा में सोने को नकदी में बदलना विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की तुलना में मुश्किल और महंगा साबित होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसकी आपूर्ति और खरीदार कम होते हैं।
- ब्याज या लाभांश नहीं मिलना: अपने पास सोना आरक्षित रखने से कोई ब्याज या लाभांश नहीं मिलता, जबकि बॉण्ड या करेंसी डिपॉजिट से निरंतर आय प्राप्त होती है।
- सोने के भंडारण और सुरक्षा की अधिक लागत: धातु के रूप में सोने को घरेलू या विदेशी कोषागारों (जैसे बैंक ऑफ़ इंग्लैंड) में सुरक्षित रखना होता है। इसके भंडारण, बीमा और परिवहन की लागत चुकानी पड़ती है।

आरक्षित मुद्रा के रूप में सोना रखने से जुड़े खतरे

- जब चाहे और जितने मूल्य पर चाहे बेचना आसान नहीं: जरूरत के समय बड़ी मात्रा में सोने को नकदी में बदलना विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की तुलना में मुश्किल और महंगा साबित होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसकी आपूर्ति और खरीदार कम होते हैं।
- ब्याज या लाभांश नहीं मिलना: अपने पास सोना आरक्षित रखने से कोई ब्याज या लाभांश नहीं मिलता, जबकि बॉण्ड या करेंसी डिपॉजिट से निरंतर आय प्राप्त होती है।
- सोने के भंडारण और सुरक्षा की अधिक लागत: धातु के रूप में सोने को घरेलू या विदेशी कोषागारों (जैसे बैंक ऑफ़ इंग्लैंड) में सुरक्षित रखना होता है। इसके भंडारण, बीमा और परिवहन की लागत चुकानी पड़ती है।

पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा गया

इसे अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज (CESHS) ने खोदा है।

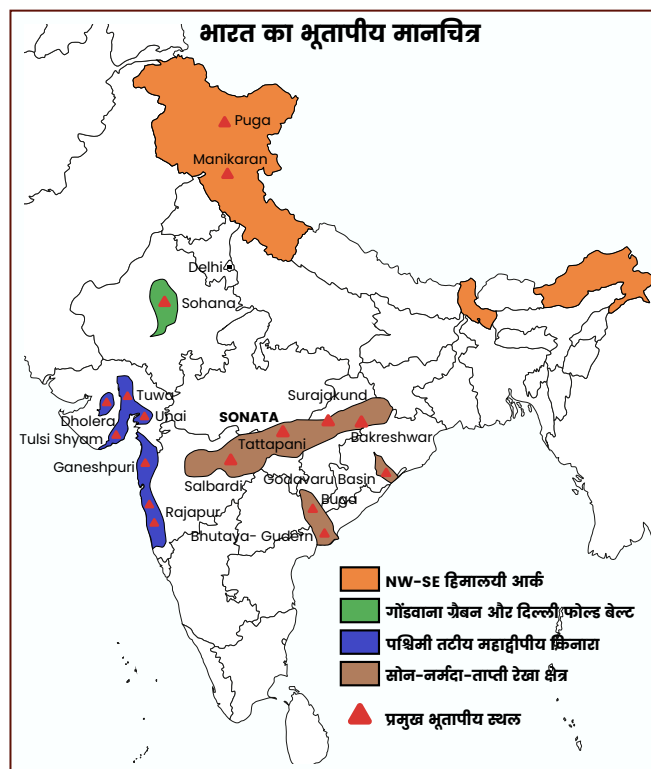
यह परियोजना एक अंतराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का परिणाम है। इसमें CESHS, नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट (NGI) ओस्लो (नॉर्वे), आइसलैंडिक जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉपी ईएचएफ और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस (GBS) की ड्रिलिंग टीम शामिल है।

भूतापीय (Geothermal) ऊर्जा के बारे में

- भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है- जियो (भू) + थर्मल (ताप)।
- ⊕ भूतापीय तकनीक की मदद से इस ऊर्जा/ ऊष्मा को हीटिंग और कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, या इसे बिजली में बदल दिया जाता है।
- ⊕ यह आंतरिक ऊष्मा/ तापीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय और पृथ्वी के निर्माण से हुई निरंतर ऊष्मा हानि से पैदा होती है।
- लाभ: स्वच्छ व किफायती नवीकरणीय ऊर्जा, साल भर उपलब्धता आदि।
- नुकसान: जमीन धंसने की आशंका, ऊर्जा के परिवहन में उच्च लागत, विषाक्त रसायनों का संभावित उत्सर्जन, आदि।

भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 'जियोथर्मल एटलस ऑफ़ इंडिया, 2022' प्रकाशित किया है। इसमें संभावित भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD): यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा चलाया जा रहा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भूतापीय सहित सस्ती और स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना है।
- सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले के मनुगुरु क्षेत्र में 20 किलोवाट का पायलट भूतापीय विद्युत संयंत्र शुरू किया है।



ऐतिहासिक रूप से पहली बार, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति का विवरण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है।

- 1 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने संकल्प लिया था कि न्यायाधीशों को पदभार ग्रहण करने पर तथा जब भी किसी महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, तो अपनी संपत्ति का विवरण भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- लोक सेवकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के विपरीत, न्यायाधीश कानूनी रूप से अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- हालांकि, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संकल्प अपनाया था कि “न्यायाधीशों को अपने जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति सहित सभी संपत्तियों का विवरण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए”।
- 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक आधार पर अपनी वेबसाइट पर न्यायाधीशों की संपत्ति को प्रकाशित करने का संकल्प लिया था।
- वर्तमान निर्णय 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन (Restatement of Values of Judicial Life) को दोहराता है। इसके तहत कुछ न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को स्थापित किया गया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को पालन करना चाहिए।

1997 न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन

- एक न्यायाधीश को ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, जो न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कम करता हो।
- ऐसे मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए, जिसमें न्यायाधीश के परिवार का कोई सदस्य या मित्र शामिल हो।
- न्यायिक निर्णय से संबंधित राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना।
- परिवार और मित्रों के अलावा किसी से उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करना।
- किसी भी व्यापार या कारोबार में संलग्न नहीं होना।
- अपने पद से संबंधित कोई भी वित्तीय लाभ की अपेक्षा नहीं करना, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से सिविल डिफेंस तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करने को कहा

गृह मंत्रालय ने देश के वर्गीकृत 244 सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स आयोजित करने का निर्णय लिया।

- सिविल डिफेंस जिले ऐसे जिले होते हैं, जिन पर सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से दुश्मन के हमलों का खतरा बना रहता है।

सिविल डिफेंस अभ्यास के बारे में

- यह किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने का अभ्यास है। इसका उद्देश्य यह परीक्षण करना होता है कि युद्ध, मिसाइल हमले, हवाई हमले या आपदा जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान नागरिक और सरकारी तंत्र किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं।
- इस अभ्यास के दौरान अलग-अलग प्रकार के नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालन क्षमता और समन्वय का मूल्यांकन किया जाता है। इस अभ्यास में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों के प्रभावी होने की क्षमता का आकलन करना,
 - भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का संचालन करना, और कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता की जाँच करना।
 - शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में नागरिकों और विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना।
 - छद्म उपायों (Camouflaging) द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हमले से बचाने की व्यवस्था करना।
 - हमले वाली जगह से सुरक्षित निकासी की योजना को अपडेट करना व उसका अभ्यास करना।
- पिछली बार ऐसी ड्रिल्स 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले आयोजित की गई थी।

भारत में सिविल डिफेंस के प्रावधान

- नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968: यह अधिनियम भारत-चीन युद्ध (1962) और भारत-पाक युद्ध (1965) के बाद लागू किया गया था। यह वायु, भूमि, समुद्र या अन्य स्थानों से किसी भी प्रकार के शत्रुतापूर्ण हमले से जान-माल, स्थान या वस्तु की सुरक्षा के उपायों का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में नागरिक सुरक्षा वाहिनी (Civil Defence Corps) के गठन और नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के लिए नियम एवं कानून बनाने के प्रावधान किए गए हैं।

अन्य सुर्खियां



नीलगिरि तहर

तमिलनाडु और केरल में नीलगिरि तहर पर एक साथ आबादी सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, कोयंबटूर वन प्रभाग में पारंपरिक नीलगिरि तहर पर्यावासों में इनकी आबादी फिर से बढ़ने के संकेत मिले हैं।

नीलगिरि तहर के बारे में

- यह पश्चिमी घाट का स्थानिक जीव है। यह भारत में अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत में पाए जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है।
- पर्यावास: खुले पर्वतीय घास के मैदान।
 - ये उत्तर में नीलगिरि से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी की पहाड़ियों तक पाए जाते हैं।
- खतरे: पर्यावास हानि, पालतू जानवरों से प्रतिस्पर्धा, जलविद्युत परियोजनाएं, मोनोक्ल्चर बागान और कभी-कभी शिकार।
- नीलगिरि तहर परियोजना: यह तमिलनाडु राज्य की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य राजकीय पशु नीलगिरि तहर की रक्षा करना है।
- संरक्षण स्थिति:
 - IUCN लाल सूची: एंडेजर्ड।
 - भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I में सूचीबद्ध।



MICE उद्योग

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का लक्ष्य कम-से-कम 10 भारतीय शहरों को विश्व के शीर्ष MICE डेस्टिनेशंस में शामिल करना है।

- MICE से आशय है- मीटिंग्स, इन्सेन्टिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जिबिशन।

भारत: MICE उद्योग में एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन

- भारत वैश्विक MICE क्षेत्र में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसने 2024 में भारत के लिए 49.4 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व सृजित किया था और इसके 2030 तक 103.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
 - इस तरह इस क्षेत्र द्वारा 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल करने का अनुमान है।
- संवृद्धि के महत्वपूर्ण कारक: तीव्र आर्थिक संवृद्धि, विश्वस्तरीय अवसंरचनाओं (सड़कें, रेलवे आदि) और सरकार के समर्थन ने संयुक्त रूप से देश में भारत मंडपम, यशोभूमि, जिओ वर्ल्ड सेंटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के विकास में मदद की है।



ऑपरेशन शिवा

भारतीय सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 'ऑपरेशन शिवा' शुरू किया।

- यह ऑपरेशन पहलूगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए शुरू किया गया है।

श्री अमरनाथ जी गुफा के बारे में

- अमरनाथ गुफा जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिम शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं।
- ⊕ यह भगवान शिव के लिंग स्वरूप यानी शिवलिंग का प्रतीक है।
- इस गुफा में बर्फ से बने दो स्टैलेग्माइट देवी पार्वती (भगवान शिव की पत्नी) और भगवान गणेश (उनके पुत्र) का प्रतीक माने जाते हैं।
- अमरनाथ यात्रा श्रावण माह में शुरू होती है, जब बर्फ का लिंगम पूर्ण आकार में होता है।
- इस तीर्थयात्रा की उत्पत्ति का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ "बृंगेश संहिता" में मिलता है।



पिपरहवा पुरावशेष

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोथबीज़ हांगकांग द्वारा भारत के पिपरहवा के पुरावशेषों की नीलामी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं।

पिपरहवा पुरावशेषों के बारे में

- इतिहास: इन पुरावशेषों को पिपरहवा स्तूप से 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा उत्खनन करके प्राप्त किया गया था।
- ⊕ कुछ विद्वानों का मानना है कि आधुनिक पिपरहवा प्राचीन कपिलवस्तु शहर का स्थल था।
- प्राप्त पुरावशेषों में शामिल हैं: अस्थियां, क्रिस्टल और सॉपस्टोन से बने कलश, बलुआ पत्थर का पात्र, तथा सोने के आभूषण एवं रत्न जैसी उपहार सामग्री।
- ⊕ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त एक अभिलेख इन पुरावशेषों को भगवान बुद्ध से जोड़ता है। इन पुरावशेषों को शाक्य वंश ने सुरक्षित रखा था।



केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक की नियुक्ति

CBI निदेशक के नए नाम की सिफारिश करने वाली समिति आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी है।

CBI निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के अनुसार, CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- ⊕ प्रधान मंत्री (समिति के अध्यक्ष);
- ⊕ भारत का मुख्य न्यायाधीश (या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश); तथा
- ⊕ लोक सभा में विपक्ष का नेता (या लोक सभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)।
- कार्यकाल: CBI निदेशक को दो वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि, एक-एक वर्ष का विस्तार देते हुए उसके कार्यकाल को अधिकतम 3 वर्षों तक (कुल पांच वर्ष) बढ़ाया जा सकता है।



अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का कार्यकारी निदेशक

केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परमेश्वरन अय्यर को IMF के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया।

IMF कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) के बारे में

- कार्यकारी बोर्ड IMF के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।
- इसमें 25 निदेशक होते हैं। इन्हें सदस्य देशों या देशों के समूहों द्वारा चुना जाता है।
- IMF का प्रबंध निदेशक (Managing Director) इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- यह बोर्ड IMF के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह बोर्ड उन सदस्य देशों को IMF से वित्तीय सहायता प्रदान करने को मंजूरी देता है, जो अस्थायी भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं।



एयरग्लो

चिली के अटाकामा मरुस्थल में ला सिला वेधशाला के ऊपर एयरग्लो की तस्वीर ली गई।

एयरग्लो (वायुदीप्ति) के बारे में

- एयरग्लो तब होता है, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उत्तेजित हुए वायुमंडल के ऊपरी हिस्से के परमाणु और अणु, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने के लिए प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।
- ⊕ एयरग्लो रात्रि के आकाश में सदैव मौजूद रहता है, लेकिन आमतौर पर यह इतना हल्का होता है कि इसे आँखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। इसे केवल अत्याधुनिक कैमरों से अंधेरी जगहों पर ही देखा जा सकता है।
- यह घटना ऑरोरा जैसी ही है, लेकिन अंतर यह है कि ऑरोरा सौर पवनों से आने वाले तेज गति वाले कणों से बनते हैं, जबकि एयरग्लो केवल सामान्य सौर विकिरण से बनता है।



लूना 12

फैरो आइलैंड्स स्पेस प्रोग्राम की एक पहल के तहत लूना 12 के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग किया जा रहा है।

लूना 12 के बारे में

- लूना 12 एक टाइडल काइट है। यह फैरो आइलैंड्स के तट के पास जल की सतह के नीचे प्रवाहित होने वाली धाराओं को कैप्चर करके उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
- ⊕ टाइडल काइट एक प्रकार की जल के नीचे की टरबाइन है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न समुद्री धाराओं और ज्वार-भाटे की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करती है।
- यह स्वीडिश कंपनी मिनेस्टो के डैगन क्लास ऑफ टाइडल काइट्स का हिस्सा है।
- महत्त्व: ज्वारीय ऊर्जा, सौर या पवन ऊर्जा के मुकाबले अधिक स्थिर एवं पूर्वानुमेय नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करती है।



इलेक्ट्रिक वाहनों पर उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की उन्नति के लिए मिशन (MAHA-EV) मिशन

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपने MAHA-EV मिशन के तहत सहायता के लिए सात ई-नोड्स का चयन किया है।

- चयनित प्रत्येक ई-नोड (e-Node) को परियोजना संयुक्त समूह (consortia) मॉडल में संचालित करनी होगी। इसमें शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग जगत की भागीदारी अनिवार्य है।

MAHA-EV मिशन के बारे में

- यह ANRF का एक कार्यक्रम है।
- ⊕ ANRF एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना देश के संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, वित्त-पोषित करने और समन्वय करने के उद्देश्य से की गई है।
- उद्देश्य: स्थिरता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के साथ संरेखित अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों में भारत को अग्रणी बनाना।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची